



सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,  
उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद,  
राज्य परियोजना कार्यालय,  
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
समस्त मण्डल उ०प्र०।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
समस्त जनपद उ०प्र० (कानपुर नगर एवं औरैया जनपद को छोड़कर)।

पत्रांक: क०ग०बा०वि०-वॉ२/३-२/२१९५/२०१३-१४

दिनांक: १५/४/२०१३

विषय: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के अन्तर्गत प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना बालिका शिक्षा उन्नयन हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 100 छात्राएं आवास करके शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अतः इस योजना से जुड़े समस्त अभिकर्मियों में पर्याप्त संवेदनशीलता तथा जागरूकता होनी आवश्यक है। के०जी०बी०वी० जैसी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील योजना में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता के कारण जनपदों में प्रायः अप्रिय घटनाएँ घटने की सूचना प्राप्त होती है। के०जी०बी०वी० के सफल संचालन के लिये समस्त अभिकर्मियों को दायित्वों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करना अपेक्षित है। इस हेतु के०जी०बी०वी० से जुड़े समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को वचनबद्धता के साथ अध्ययनरत बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अच्छी आदतों के निर्माण में सन्नद्ध होना होगा। इस हेतु के०जी०बी०वी० में सतत

निरीक्षण, पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। निरीक्षण हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:-

- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अपने जनपद में संचालित समस्त के०जी०बी०वी० का 2 माह में एक बार अवश्य निरीक्षण करें तथा निरीक्षणोपरान्त आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करें।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा 2 माह में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक के०जी०बी०वी० का रैण्डम आधार पर निरीक्षण किया जाये तथा पाई गई कमियों का निराकरण भी ससमय कराया जाये।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक 2 माह में जनपद के समस्त के०जी०बी०वी० का न्यूनतम एक बार निरीक्षण अवश्य किया जाये तथा जिला स्तर पर कमियों का निस्तारण करते हुए आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
- खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने विकास खण्ड में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निरीक्षण माह में एक बार अनिवार्य रूप से किया जाये।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा के०जी०बी०वी० की वार्डन की माह में एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला समन्वयक (बा०शि०), सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, एवं लेखाकार के०जी०बी०वी० अवश्य उपस्थित हो। उक्त बैठक में के०जी०बी०वी० से सम्बन्धित समस्त समस्याएं यथा - खाद्य सामग्री, शैक्षिक सामग्री, दैनिक उपभोग की वस्तुएं (तेल, मंजन, कंधा, सेनेटरी नैपकिन, जूते-मोजे इत्यादि) विद्यालय से सम्बन्धित अन्य समस्याओं पर चर्चा कर समस्या का समाधान किया जाये।
- जनपद में संचालित समस्त के०जी०बी०वी० का निरीक्षण जिला समन्वयक (बा०शि०) द्वारा प्रत्येक माह में 2 बार अवश्य सुनिश्चित किया जाये।

#### निरीक्षण के मुख्य बिन्दु-

निरीक्षण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के भौतिक, शैक्षिक एवं वित्तीय बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत निम्नांकित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है:-

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं की कुल संख्या एवं वास्तविक उपस्थिति।

- शिक्षिकाओं की संख्या एवं उपस्थिति।
- निरीक्षण के समय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा शिक्षण पर भी ध्यान दें यथा शिक्षकों द्वारा पाठ योजना निर्माण, टीचर्स डायरी, पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, टी0एल0एम0 का प्रयोग पाठ योजनानुसार निर्मित किया गया है अथवा नहीं।
- निरीक्षण के समय कम्प्यूटर शिक्षण, कम्प्यूटर की उपलब्धता तथा उसके उपयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
- छात्राओं को मिलने वाली सुविधाएं यथा— स्टेशनरी, यूनीफार्म, जूते-मोजे दैनिक उपभोग की वस्तुओं (तेल, भजन, कघा, सेनेटरी नैपकिन, जूते-मोजे इत्यादि) की उपलब्धता।
- विद्यालय भवन की स्थिति, छात्रावास की स्थिति, विद्युत व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, सुरक्षा, स्वच्छता, भवन का रख रखाव इत्यादि बिन्दुओं को निरीक्षण के समय अवश्य ध्यान दें।
- वार्डन तथा शिक्षिकाओं के दायित्वों के निर्वहन की समीक्षा भी की जाये।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अभिलेखों का रख रखाव तथा अंकन तथा लेखाकार द्वारा कृत कार्यों के निरीक्षण पर ध्यान दिया जाये।
- छात्राओं का आवागमन रजिस्टर तथा छात्राओं की प्रोफाइल का भी विधिवत् निरीक्षण किया जाये।
- निरीक्षण के समय किचेन तथा भण्डार गृह का निरीक्षण अवश्य किया जाये। निरीक्षण के समय यह भी सुनिश्चित करें कि खाद्य सामग्री तेल, मसाले आदि सामग्री ब्राण्डेड तथा गुणवत्तापूर्ण है अथवा नहीं है। खाना मीनू के अनुसार तथा मीनू विद्यालय की दीवार पर अंकित होना चाहिए तदनुसार ही भोजन निर्मित किया जाये।
- यह भी निर्देशित किया जाता है कि खाना बनने के बाद छात्राओं के खाने से पूर्व वार्डन एवं पूर्णकालिक शिक्षिकाओं द्वारा खाना अवश्य चख कर देख लिया जाये।
- निरीक्षण के समय बिस्तर, रजाई, गद्दे इत्यादि का निरीक्षण किया जाये कि वह मानक के अनुसार है कि नहीं तथा बिस्तर की गुणवत्ता भी जांच लें।

• शिक्षण कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिलाधिकारी को प्रेषित की जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमृता सोनी)  
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: क0गं0बा0वि0-वॉ2/3-2/2195/2013-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।
2. अपर परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, निशातगंज, लखनऊ।
3. वरिष्ठ सलाहकार, राज्य परियोजना कार्यालय, निशातगंज, लखनऊ।
4. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उ0प्र0 (कानपुर नगर एवं औरैया जनपद को छोड़कर)।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने स्तर से पत्र उपलब्ध करायें।
6. निदेशक, महिला समाख्या, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0 (कानपुर नगर एवं औरैया जनपद को छोड़कर)।
8. जिला समन्वयक, के0जी0बी0वी0, समस्त जनपद उ0प्र0 (कानपुर नगर एवं औरैया जनपद को छोड़कर)।

(अमृता सोनी)  
राज्य परियोजना निदेशक